461

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण

नवीन प्र० 0276/2018

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0276

भोला पुत्र प्यारे शुक्ला
निवासीग्राम भगोरा तहसील चंदला
जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

श्री मुकेश भार्गव अधि० द्वारा आज दि. 9-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. रामऔतार पुत्र रामस्वरूप शुक्ला
2. रामभरत पुत्र रामस्वरूप शुक्ला
3. दामोदर पुत्र राजाराम शुक्ला
4. अशोक बाबू पुत्र राजाराम शुक्ला

चारों निवासीगण ग्राम भगौरा तहसील चंदला
जिला छतरपुर (म.प्र.)

मुकेश भार्गव
09-1-18 एडवोकेट
ग्वालियर

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर जिला छतरपुर द्वारा प्र.कं. 18/स्व.प्रे.निग./2012–13 में पारित आदेशदिनांक 17.11.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रांरभ की गई कार्यवाही प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, ग्राम भगौरा में स्थित भूमि ख.नं. 101/1 रकवा 0.542, 108/2 रकवा 1.000 हे. भूमि ग्राम भगौरा में स्थित होकर आवेदक को नायब

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./छतरपुर/भू.रा./2018/0276

भोला शुक्ला विरूद्ध रामऔतार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर, जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक- 18/स्व.निग./2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-01-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य